

Delhi Fodder Marketing Committee, Mangolpuri

(TO BE PUBLISHED IN PART-V SECTION - II OF DELHI GAZETTE ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
49, SHAM NATH MARG, DELHI - 110054.

No. F.8(19)/99-DAM/MR/ 2273 -

Dated : 15 MAY 2007

ORDER

In exercise of the powers conferred by section 43 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999) and consequent upon the election of Chairman and Vice-Chairman of the Delhi Fodder Marketing Committee, Tikri Kalan, Delhi, held on 15.05.2007, I Dr. R.D. Srivastava, Director, Agricultural Marketing, Govt. of NCT of Delhi, hereby notify the following names of Chairman and Vice-Chairman of the aforesaid Marketing Committee: -

1. Sh. Narender Tyagi, : Chairman
R/o 219/20, Burari, Delhi-110084.
2. Sh. Narender Mehta, : Vice-Chairman
R/o F-22/161, Sector-3, Rohini,
Delhi-110085.

The terms of the office of the Chairman and Vice-Chairman of the aforesaid Marketing Committee shall be as per the provisions under section 44 of Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998.

By order,



(Dr. R.D. Srivastava)
Director, Agricultural Marketing

(दिल्ली साधारण गजट के भाग-5 खण्ड-11 में प्रकाशित किए जाने के लिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विकास विभाग)

कृषि विपणन निदेशालय

49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सं.एफ 8(19)/99-डी0ए0एम0/एम0आर0/ 2275-

दिनांक 15 MAY 2007

आदेश

दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 43 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली चारा विपणन समिति, टिकरी कला, दिल्ली की पहली बैठक दिनांक 15.05.2007 में चैयरमेन व वाईस चैयरमेन के चुनाव के उपरान्त, मैं डा० आर० डी० श्रीवास्तव, निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों के नामों को उपरोक्त विपणन समिति का चैयरमेन व वाईस चैयरमेन अधिसूचित करता हूँ:-

1. श्री नरेन्द्र त्यागी,
निवासी 219/20, बुराड़ी, दिल्ली-110084.

चैयरमेन

2. श्री नरेन्द्र मेहता,
निवासी एफ-22/61, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085.

वाईस चैयरमेन

उपरोक्त चैयरमेन व वाईस चैयरमेन का कार्यकाल दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 44 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार होगा।

आदेश पर,

(डा० आर० डी० श्रीवास्तव)

निदेशक, कृषि विपणन